163

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017/निगरानी
III/निगरानी/अशोकनगर/भू०रा०/2017/3764

आवेदक -- दयाराम यादव पुत्र श्री तोरनसिंह यादव, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम चमराई, तहसील मुंगावली, जिला गुना (म0प्र0)

बनाम

अनावेदकगण -- मध्य प्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर, जिला - गुना (म0प्र0)

**निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2003 पारित न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 245/2001-02/निगरानी।**

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-**

1- यहकि, ग्राम चमराई, तहसील मुंगावली, जिला गुना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 265 में से रकवा 0.836 हैक्टेयर को न्यायालय तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण क्रमांक 100/1988-89/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 10.11.1989 के द्वारा आवेदक भूमिहीन होने के आधार पर व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया।

2- यहकि, आवेदक के पास उक्त भूमि के अलावा उसके हिस्से में मात्र दो बीघा असिंचित भूमि होने से भूमिहीन की श्रेणी में आता है, इसलिए आवेदक के आवेदन पर विधिवत प्रक्रिया का प्रकरण कर तथा प्रकरण में सम्पूर्ण जाँच उपरांत कथन दयाराम, ऊधमसिंह, उदयभानसिंह, छुट्टनलाल आदि के कथन लिये जाकर विधिवत आवेदक के हित में व्यवस्थापन किया गया था।

3- यहकि, न्यायालय अपर कलेक्टर, गुना द्वारा न्यायालय तहसीलदार के आदेश के दिनाक 10.11.1989 को 9 वर्ष पश्चात् स्व-निगरानी में लेकर आवेदक के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 10.11.1989 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी मय धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत की गयी, जिसका कोई खण्डन जबाव न होने के उपरांत आवेदक की निगरानी को अवधि वाह्य मानकर निरस्त कर दी गयी तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा पारित आदेश के संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी और ना ही न्यायालय द्वारा आवेदक को कोई सूचना प्रेषित की गयी। ऐसी स्थिति में आवेदक के व्यवस्थापन आदेश को अपने आदेश दिनांक 04.07.2003 के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3764

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27-10-2017 | यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 245/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4-7-2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 6-10-2017 को (14 वर्ष 4 माह वाद) प्रस्तुत की गई है।<br>2/ अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनॉक 4-7-2003 की सूचना आवेदक द्वारा नियुक्त अभिभाषक ने समय पर नहीं दी, जब नीचे के न्यायालय का रिकार्ड वापिस हुआ, तब पटवारी द्वारा अमल कार्यवाही की दिनांक 20-8-17 को जानकारी दी गई। उसके वाद ग्वालियर आकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति आवेदन 28-8-17 को लगाने पर 8-9-17 को नकल मिली तब जानकारी के दिन से एंव प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने से निगरानी समयावधि में मानी जावे। उन्होंने विभिन्न न्याय दृष्टांतों की ओर भी ध्यान आकर्शित कराया।<br>3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव निगरानी प्रस्तुत करने में हुये 14 वर्ष 4 माह के विलम्ब पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदक अपर आयुक्त न्यायालय में नियुक्त अभिभाषक द्वारा जानकारी यथासमय न देने का तथ्य बता रहा है जबकि आवेदक का दायित्व था कि अपर आयुक्त न्यायालय में प्रचलित निगरानी प्रकरण की जानकारी वकील से समय-समय पर प्राप्त करता, किन्तु 14 वर्ष 4 माह तक प्रकरण का जानकारी न लेना एंव जानकारी के लिये उत्सुक न रहना यही दर्शाता है कि आवेदक ने स्वयं के प्रकरण की जानकारी न लेने एंव जानकारी न रखने में लापरवाही वरती है। सरस्वती देवी मृतक वारिसान बनाम देहली डव्हलपमेंट ऑथोरिटी A.I.R. 2013 S.C. 1717 का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब क्षमा | |

किये जाने का उपयुक्त मामला होना नहीं पाया जाय। विलम्ब क्षमा किये जाने से इंकार किया जा सकता है।

विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता की लापरवाही से निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब होना बताया गया है। श्रीमती लंगरी बनाम छोटा 1992 राजस्व निर्णय 289 म0प्र0 का दृष्टांत है कि पक्षकार ने विलम्ब क्षमा करने की प्रार्थना की। पक्षकार के आचरण पर दृष्टिपात किया गया। पक्षकार ने न तो अधिवक्ता से संपर्क किया था और न ही उसने कार्यवाही में उपस्थिति दी थी। अधिवक्ता का आचरण निष्क्रियता व उपेक्षा का होना नहीं माना गया। विलम्ब स्वीकार नहीं किया गया।

विचाराधीन प्रकरण में आई परिस्थितियों पर भी यही स्थिति है आवेदक ने अपर आयुक्त न्यायालय में नियुक्त अभिभाषक से संपर्क नहीं रखा, जिसके कारण उसके द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु बताये गये आधार माने जाने योग्य नहीं है। रामलाल बनाम रीवा कोल फील्डस लिमि0 1962 म0प्र0लॉ ज0 602 = S.C. A.I.R. 1962 S.C. 361 (गीतारानी बनाम भगवती बाई 2006 (2) म0प्र0लॉ ज0 45) के न्याय दृष्टांत हैं कि अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व से ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

विचाराधीन निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनॉक 4-7-2003 के विरूद्ध दिनांक 6-10-2017 को अर्थात 14 वर्ष 4 माह के विलम्ब से प्रस्तुत है, जिसे इसी–स्तर पर निरस्त किया जाता है।

सदस्य